159

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–डिन्डोरी

उदय राज सिंह पुत्र श्री सर्वजीत सिंह छत्री निवासी– निजी चिकित्सक निवासी गोरखपुर तहसील व जिला डिन्डोरी म.प्र.

...... आवेदक

विरूद्ध

1– मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला डिन्डोरी (म.प्र.)

2– आशा राम परस्ते पुत्र श्री घासी राम गौड निवासी – ग्राम मुसण्डा तहसील व जिला डिन्डोरी (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 417-III/2004 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 03.08.2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह आवेदन सविनय निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यहकि, माननीय न्यायालय के आदेश में कई ऐसी वैधानिक त्रुटियां रह गई हैं जिनके कारण माननीय न्यायालय का आदेश पुनर्विलोकन योग्य है।

2– यहकि, माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 327/दो/2012 में पारित आदेश दिनांक 10.06.2016 को आवेदक की निगरानी स्वीकार की गयी है एवं अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 43/अ–19/2001–02 निरस्त किया है, किन्तु आवेदक के वर्तमान प्रकरण में जोकि माननीय न्यायालय के समक्ष पूर्व से विचाराधीन था उसमें आवेदक को सुने बिना जो आदेश पारित किया है उसमे अभिलेख की प्रत्यक्ष दर्शी त्रुटि होने से संशोधन योग्य है।

3– यहकि, वर्तमान प्रकरण में आवेदक को किसी भी प्रकार की सूचना सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा एक पक्षीय आदेश त्रुटिवंश पारित हुआ है जो संशोधन योग्य है।

4– यहकि, एक ही प्रकरण में दो प्रकार आदेश पारित नहीं किये जा सकते ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय का आदेश पुनर्विलोकन योग्य है।

5– यहकि, माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदकगण की और से पुनरीक्षण में 1 लगायत 7 आधार उठाये गये थे किन्तु माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त आधारो पर विधिवत् विचार किये बिना तथा अपना निष्कर्ष दिये बिना जो आदेश पारित किया है उसमें अभिलेख की प्रत्यक्षदर्शी त्रुटि होने से माननीय न्यायालय का आदेश पुनर्विलोकन योग्य है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पुर्नविलोकन 2679/एक/2016 जिला–डिण्डौरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
17-1-17	यह पुर्नविलोकन आवेदक द्वारा राजस्व मण्डल के प्रकरण क्रमांक 417/तीन/2004 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 03.08.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 51 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि नायब तहसीलदार बजाग द्वारा प्रकरण क्रमांक 415/अ–19/1988–89 में पारित आदेश दिनांक 20.07.1990 के अनुसार ग्राम गोरखपुर के शासकीय भूमि खसरा नं. 250/1 रकवा 0.40 एकड़ में से 0.10 एकड भूमि आवेदक को आवंटित की गयी थी। उक्त आदेश के विरूद्ध आशाराम पुत्र घासीराम गौड द्वारा निगरानी अपर कलेक्टर मण्डला के समक्ष प्रकरण क्रमांक 2/अ–19/1994–95 प्रस्तुत की गयी थी जो पारित आदेश दिनांक 16.06.1995 से स्वीकार कर आवेदक के हित में जारी बंटन आदेश दिनांक 20.07.1990 निरस्त किया जाकर पात्रता अनुसार भूमि बंटन की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये थे। जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर के समक्ष अपील प्रकरण क्रमांक 43/अ–19/01–02 प्रस्तुत की गयी थी जो आदेश दिनांक 08.09.2003 से निरस्त कर दी गयी। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 417/तीन/2004 प्रस्तुत की गयी थी। जो आदेश दिनांक 29.06.	

2007 से अद्म पैरवी में निरस्त की गयीं। जिसके विरूद्व आवेदक द्वारा रेस्टोरेशन प्रकरण क्रमांक 327/दो/2012 प्रस्तुत किया था। जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.04.2015 से लोकअदालत में पुर्न स्थापित किया गया है। तत्पश्चात् उपरोक्त मूल प्रकरण क्रमांक 417/दो/2004 misplease (गुम) हो गयीं। ऐसी स्थिति में प्रकरण की समस्त कार्यवाही रेस्टोरेशन प्रकरण क्रमांक 327/दो/2012 में की जाती रही। तथा इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.06.2016 से प्रकरण में अंतिम आदेश भी पारित किया गया हैं इसके पश्चात् उक्त मूल पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 417/तीन/2004 उपलब्ध होने पर आदेश दिनांक 03.08.2016 पारित कर दिया गया। जिसके विरूद्व यह वर्तमान पुर्नविलोकन प्रस्तुत किया गया है।

3– पुर्नाविलोकन मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा न्यायालयो के उपलब्ध अभिलेखो का अवलोकन किया गया।

4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि माननीय न्यायालय द्वारा रेस्टोरेशन प्रकरण क्रमांक 327/दो/2012 में पारित आदेश दिनांक 10.06.2016 पारित किया गया है चूकि वर्तमान मूल प्रकरण पुनरीक्षण क्रमांक 417/तीन/2004 उपलब्ध नहीं था। कहीं गुम हो गया था ऐसी स्थिति में रेस्टोरेशन में मूल आदेश पारित किया गया है। अब जब मूल प्रकरण क्रमांक 417/तीन/2004 उपलब्ध हो गया तब माननीय न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश दिनांक 03.08.2016 पारित कर दिया है जो एक दूसरे के विपरीत है ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय पूर्व आदेश दिनांक 10.06.2016 को विधि मान्यता प्रदान की जानी चाहिये थी। अतः पुर्नविलोकन स्वीकार

किये जाने का निवेदन किया।

5– अनावेदक शासन की ओर से उपस्थित सूची अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह बताया कि पूर्व अभिलेख के अनुसार आदेश पारित किया जाये।

6– उभयपक्ष के अभिभाषको द्वारा किये गये तर्को एवं उपलब्ध अभिलेखो के अवलोकन से स्पष्ट है कि मूल पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 417/दो/2004 गुम हो जाने की स्थिति में रेस्टोरेशन प्रकरण क्रमांक 327/दो/2012 में अंतिम आदेश दिनांक 10.06.2016 पारित किया गया है। और जब बाद में मूल पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 417/दो/2004 उपलब्ध हो गया तब उसमें पारित आदेश दिनांक 03.08.2016 पारित कर दिया गया। जबकि पूर्व में आदेश दिनांक 10.06.2016 पारित किया गया था। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा मूल पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 417/दो/2004 में पारित आदेश दिनांक 03.08.2016 निरस्त किया जाता है। तथा रेस्टोरेशन प्रकरण क्रमांक 327/दो/2012 में पारित आदेश 10.06.2016 को विधि मान्य किया जाकर वर्तमान पुर्नविलोकन का निराकरण किया जाता है।

सदस्य